नवीकरण प्रमाण पत्र कमांक.....

002071

प्रारूप – 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 7098

दिनांक 1/2/16

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या 2600 पत्रावली संख्या एजी–53170 दिनांक 2010-2011

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि हलधर शिक्षा प्रचार प्रसार समिति, ग्राम फतेहपुरा पो0 बरौली जिला मथुरा। को

1870 / 2010–11 21-01-2011

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र .....दिनांक ..... को दिनांक 21-01-2016 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1000 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

30-01-2016

जारी करने का दिनांक.....

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सो0 फर्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1374)–2,00,000 प्रतियां–(क0 / टी0 / आफसेट)।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 18AB 837846

यह जनरल स्टाम्प पेपर हलधर शिक्षा प्रचार प्रसार समिति, ग्राम पारसेहपुरा पो० बरौली, जिला मथुरा फाइल नं० 53170 स्मृति पत्र के साथ संलग्न है।

कार्यालय उप निबन्धक सोसाइटीज

उत्तर प्रदेश, आगरा

उप निबन्धक
फर्म्स तथा सोसाइटी
आगरा क्षेत्र, आगरा
24-5-2011

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 18AB 837847

यह जनरल स्टाम्प पेपर [illegible]
[illegible]
जिला मथुरा फाइल नं० [illegible] 53[illegible]70
नियमावली के साथ संलग्न है।

उप निबन्धक
चिट फण्ड फर्म्स तथा सोसाइटी
आगरा मंडल, आगरा
24.5.2011

स्मृति पत्र

1–संस्था का नाम– हलधर शिक्षा प्रचार प्रसार समिति

2–संस्था का पता– ग्रा0 फतेहपुरा पो0 बरौली जिला मथुरा।

3–संस्था का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा

4–संस्था के उददेश्य–

1– शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना व शिक्षा विकास हेतु जगह–जगह विद्यालयों,मदरसों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर छात्र–छात्राओं का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक,शैक्षिक, चारित्रिक, शारीरिक, साहित्यिक, रचनात्मक एवं कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना ।

2– शिक्षा विकास हेतु प्राईमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल कालेज, डिग्री कालेज, पी0जी0 कालेज की स्थापना करना तथा निशुल्क दूरस्थ शिक्षा, तकनीकी, व्यवसायिक, औद्योगिक एवं ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर युवक–युवतियों को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना ।

3– निर्धन, अनाथ, अपंग अनुसूचित जाति, जन जाति बच्चों को निशुल्क शिक्षा व उनके छात्रवृत्ति की समुचित व्यवस्था करना तथा बच्चों की सुविधा हेतु छात्रावास एवं पुस्तकालय,वाचनालय,कीड़ा स्थल,व्यायामशाला की व्यवस्था करना एव शैक्षिक व खेल प्रतिभा की प्रतियोगिताओं का आयोजित करना ।

4– शिक्षा विकास हेतु आधुनिक पाठ्यकम पर आधारित शिक्षण संस्थानों की स्थापना विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त कर स्थापित करना तथा सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस. ई. शिक्षा पद्धति के शिक्षण संस्थानों स्थापना कर उनका विधिवत प्रबन्धन संचालन करना।

5– युवक–युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना व उन्हें शिक्षित कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना। शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करना तथा उनके बच्चों लिये निशुल्क शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना। बच्चों की सुविधा हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, क्रीडाकेन्द्र, व्यायामशाला आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना तथा निर्धन अनाथ, अपंग तथा मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाना ।

6– संस्था का उद्देश्य समय–समय पर सॉस्कृतिक कार्यकमों, गोष्ठियों, स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, राहत शिविरों, जनजागृति शिविरों, कलाप्रदर्शनी, का आयोजन करना तथा प्रौढ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कार्यकम, बालश्रम उन्मूलन कार्यकम, मद्यनिषेध कार्यकम चलाना ।

7– केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम बोर्ड, सम्बन्धित विभागों के वित्तीय सहयोग से लोगों के कल्याण हेतु व उन्हें आत्म निर्भर व स्वावलम्बी बनाने हेतु सुलभ प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढाई, कताई, बुनाई, हस्तशिल्पकला, वास्तुकला, दस्तकारी, दरी, कालीन, ड्राइंग पेंटिग कला प्रशिक्षण, ब्यूटीशियन, तथा टंकण, कम्प्यूटर मोबाइल रिपेयरिग, आशुलिपि, संगीत एवं कम्प्यूटर (हार्डवेयर–साफ्टवेयर)पच्चेयकारी एवं उर्दू के खुशखती प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, तथा उनमें जागरूकता पैदा करना ।

8– यह है कि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा स्थापित बोर्डो/विश्व विद्यालयो द्वारा संचालित पाठयकमों/उपाधियो हेतु प्रदान किये जाने वाले प्रमाणपत्रो को नहीं प्रदान किया जायेगा और नही ऐसे पाठयकम बिना राज्य/भारत सरकार की अनुमति के संचालित ही किये जायेगे।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मंडल, आगरा

23-5-2011

5– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय दिये गये हैं जिन्हें कि नियमानुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है–

कम सं0 नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा पुत्रश्री गोपाल प्रसाद शर्मा	प्रोफेसर कालौनी सादाबाद हाथरस	अध्यक्ष	वकालत
2–श्री अवनेश कुमार पुत्रश्री भगवान सहाय	ग्रा0 गिजरौली पो0 खास जिला हाथरस	उपाध्यक्ष	नौकरी
3–श्री राजवीर सिंह उपाध्याय पुत्रश्री रामखिलाडी उपाध्याय	ग्रा0 फतेहपुरा पो0 बरौली जिला मथुरा	प्रबन्धक	नौकरी
4–श्री कृष्ण कान्त दुवे पुत्रश्री भगवान स्वरूप	ग्रा0 अर्जुन पुर पो0 खास जिला हाथरस	उपप्रबन्धक	नौकरी
5–श्री राजकुमार शर्मा पुत्रश्री केशवदेव	ग्रा0 फतेहपुरा पो0 बरौली जिला मथुरा	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
6–श्री प्रकाश चन्द्र पुत्रश्री मोहनलाल	ग्रा0 कूबरा पो0 जमौ जिला अलीगढ	सदस्य	कृषि
7–श्री मुरारीलाल पुत्रश्री चम्पाराम	ग्रा0 कूबरा पो0 जमौ जिला अलीगढ	सदस्य	कृषि
8–श्री रामेश्वर पुत्रश्री टीकाराम	ग्रा0 कचनऊ पो0 बरौली जिला मथुरा	सदस्य	नौकरी
9–श्री दामोदर प्रसाद पुत्रश्री रामस्वरूप	ग्रा0 कूबरा पो0 जमौ जिला अलीगढ	सदस्य	समाजसेवा
10–श्री कुँवरपाल पुत्रश्री दत्तप्रकाश	गौरांनगर कालौनी वृन्दावन जिला मथुरा	सदस्य	समाजसेवा
11–श्री राकेश कुमार पुत्रश्री रामनिवास	ग्रा0 महौरिया पो0 खास जिला अलीगढ	सदस्य	समाजसेवा

6–हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता घोषित करते है कि उक्त स्मृति–पत्र एवं संलग्नक नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधि0–21 सन्1860 के अर्न्तगत एक समिति का पंजीयन करना चाहते है ।

दिनॉक–31–12–2010

Rakesh कुंवरपाल प्रकाश चन्द Murarilal

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स आगरा क्षेत्र, आगरा

24-5-2011

कृष्णकान्त

नियमावली

1–संस्था का नाम– हलधर शिक्षा प्रचार प्रसार समिति

2–संस्था का पता– ग्रा0 फतेहपुरा पो0 बरौली जिला मथुरा।

3–संस्था का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा

4–संस्था के उद्देश्य – स्मृति–पत्र में दिये गये उद्देश्यों के अनुसार ही रहेगें ।

5–संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग–

जो सज्जन इस संस्था के उद्देश्यों व नियमों में आस्था एवं विश्वास रखते होगें एवं निर्धारित सदस्यता शुल्क एवं चन्दा देंनेपर ही इस संस्था के सदस्य बनाये जा सकेगें । जो निम्न वर्ग के होगें –

संरक्षक सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 11000/–रू0 सदस्यता शुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देगें अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के संरक्षक सदस्य आजीवन रहेगें ।

आजीवन सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 5100/–रू0सदस्यताशुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देगें अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होगें ।

सामान्य सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को 2100/–रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में दिया करेगें वे इस संस्था के सामान्य सदस्य होगें ।

विशिष्ट सदस्य– ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हों व जो विद्वान होगें सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों, जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी समिति दो वर्ष के लिये संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होगें उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान चंदा संस्था को स्वीकार होगा । ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने एवं भाग लेने का अधिकार न होगा ।

6–सदस्यता की समाप्ति–1–सदस्य की मृत्यु होने, पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।

2–आचरण भ्रष्ट होने एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर ।

3–किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर ।

4–सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।

5–संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण के बताये अनुपस्थित रहने पर।

6–किसी सदस्य के विरूद्व 2/3 बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर ।

7–सदस्य द्वारा त्याग–पत्र दिये जाने पर व उसे स्वीकृत होने पर सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी ।

7–संस्था के अंग– (अ) साधारण सभा । (ब) प्रबन्धकारिणी समिति ।

8–साधारण सभा– (अ) गठन– साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जावेगा ।

(ब) बैठकें– साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

(स) सूचना–अवधि–साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 3 दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जावेगी ।

(द) गणपूर्ति–गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

(य) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि– संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के बहुमत से तय की जावेगी।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मण्डल, आगरा
24.5.2011

(र) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का समय–समय पर चुनाव सम्पन्न कराना ।

2– नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना ।

3–वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करना ।

9–प्रबन्धकारिणी समिति–

(अ)गठन–प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारण सभा में से बहुमत से 11सदस्यों को चुनकर किया जावेगा, प्रबन्धकारिणी समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक,एक उपप्रबन्धक एक कोषाध्यक्ष एवं शेष कार्यकारिणी सदस्य होगें।

कार्यकारिणीसमिति की संख्या साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कभी भी आवश्यकता नुसार घटाई या बढाई जा सकती है जो कम से कम 7 व अधिक से अधिक 21 होगी।

(ब)बैठकें–प्रबन्धकारिणीसमिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

(स) सूचना–अवधि–प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 1 दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जावेगी ।

(द)गणपूर्ति–गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

(य)रिक्त स्थानों की पूर्ति– प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस स्थान/पद की पूर्ति साधारण सभा के बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति में शेष कार्यकाल के लिये कर ली जावेगी ।

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–

1–संस्था के उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना ।

2–नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन 2/3 बहुमत से कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत कराना ।

3–वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार करना ।

4–संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चन्दा, ऋण, एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटैबिल कार्यो पर व्यय करना ।

5–संस्था के विकास हेतु जगह–जगह प्रदेश, मण्डल व जिला स्तरों पर अपने शाखा कार्यालय स्थापित कर उनका संचालन करेगी तथा ऐसी शाखाओं के लिये उपसमितियों गठन व उनकी सेवा शर्त के नियम निर्धारित करना तथा कार्य पूर्ण होने व दोष पूर्ण कार्य करने पर ऐसी उपसमितियों को भंग करना व नवीन उप कार्यकारिणी बनाना तथा उनके कोष पर पूर्ण नियंत्रण रखना क्षेत्रीय स्तर पर उपईकाईयों/उपसमितियों द्वारा कल्याणकारी परियोजनाओं का संचालन करना/कराना ।

(ल)कार्यकाल– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा ।

10–पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य–

अध्यक्ष – 1–संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना ।

2–मीटिंग बुलाना व स्थिगित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना ।

सत्य प्रतिलिपि

3–संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व संस्था की आम देखभाल करना ।

उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स आगरा मं., आगरा

24.5-2011

उपाध्यक्ष– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौपे गये कार्य एवं सामान्य स्थिति में उनका सहयोग करना ।

प्रबन्धक– 1–संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना ।

2–संस्था के अर्न्तगत संचालित संस्थानों व शिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति निस्काशन पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना ।

3–संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, चैकों, ड्राप्टों बन्धक विलेखों बिल–बाऊचरों पर हस्ताक्षर करना ।

4–संस्था की अचल चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान अनुदान चन्दा व सदस्यताशुल्क प्राप्त कर सदस्य बनाना, प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करना ।

5–कल्याणकारी कार्यकमों के लिये परियोजना तैयार करना व उसे सम्बन्धित विभागों को स्वीकृत के लिये भेजना ।

6–संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हों करना ।

7–संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना,मीटिग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुचाना मीटिग कार्यवाही लिखना।

8–संस्था के कार्यकमो की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना।

9–संस्था के आय–व्यय का लेखा जोखा रखना एवं समस्त आय–व्यय बही पत्रों को तैयार करना ।

10–संस्था के कोष को संस्था के खाते में जमा करना एवं दान अनुदान चंदा आदि प्राप्त करना ।

उपप्रबन्धक– संस्था के प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्य करना सामान्य स्थितियों में उनका सहयोग करना ।

कोषाध्यक्ष– 1–संस्था के आय–व्यय का लेखा जोखा रखना एवं समस्त आय–व्यय बही पत्रों को तैयार करना ।

2–संस्था के कोष को संस्था के खाते में जमा करना एवं दान अनुदान चंदा आदि प्राप्त करना ।

3–प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व बिल बाऊचरों का भुगतान करना।

11–संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रकिया–

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन सोसा0रजि0अधि0 की संगत धारा के अर्न्तगत साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

12–संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था–संस्था का कोष किसी भी बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जावेगा । जिसका संचालन संस्था के प्रबन्धक/सचिव के हस्ताक्षर से होगा ।

13–संस्था का लेखा परीक्षण(आडिट)–संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जावेगा ।

14–प्रतिबन्ध–

1– विद्यालय की पंजीकत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

विद्यालय में कम से कम 10प्रतिशत अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चो के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

24.5.2011